रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, अगस्त 17—अगस्त 23, 2008, शनिवार/श्रावण 26—भाद्र 1, 1930

No. 34] NEW DELHI, AUGUST 17—AUGUST 23, 2008, SATURDAY/SRAVANA 26—BHADRA 1, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1985, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों

की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान)	07*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 10000-325-15200/-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ने हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** 8000-13500/-रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्द्ध-सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए

(12)

हुए हैं; या

(ii) जिन्होंनें मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिक विज्ञान या गणित (डिग्री स्तर पर भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो) मास्टर डिग्री या यांत्रिकी/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रानिक्स/कंप्यूटर/इंस्ट्रूमेंटेशन/सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य; और

(ii) किसी अनुसंधान/वैज्ञानिक संस्था में माप विज्ञान मदों के मानकीकरण या व्यासमापन में या विधिक माप विज्ञान संबंधी कार्य में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।

वांछनीय :

(i) फ्रेंच, जर्मन या रूसी भाषा का ज्ञान ।

(ii) मापविज्ञान प्रयोगशाला के स्थापन का अनुभव ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. प्रशासन का भारसाधक अपर सचिव/संयुक्त सचिव —अध्यक्ष 2. निदेशक (विधिक माप विज्ञान), उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारियों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान)	08*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 8000-275-13500	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

3011 GI/08-3

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ने हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** 5500–175–9000 रु. के वेतनमान में ऐसा माप विज्ञान सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्द्ध–सरकारी/ स्वशासी या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होनें मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित हैं : **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिक विज्ञान या गणित (डिग्री स्तर पर भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो) में मास्टर डिग्री या यांत्रिकी/ इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रानिक्स/कंप्यूटर/इंस्ट्रूमेंटेशन/सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । (ii) किसी अनुसंधान/वैज्ञानिक संस्था में माप विज्ञान मदों के मानकीकरण या व्यासमापन में या विधिक माप विज्ञान संबंधी कार्य में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव प्रशासन का भारसाधक, उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य 3. निदेशक (विधिक माप विज्ञान), उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य	उक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12011/17/99-स्था.-पार्ट]
प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 20th August, 2008

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1985 except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of this rule with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Director (Legal Metrology)	07* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By promotion failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion :** Assistant Director (Legal Metrology) in the scale of pay of Rs. 8000–13500 with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation** (including short term contract); Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organizations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (i) Master's Degree in Physics or Mathematic (with Physics as a subject at the degree level) or Degree in Mechanical/Electrical/Electronic/

(12)
Computer/Instrumentation /Information Technology Engineering from a recognized University or Institution or equivalent; and (ii) Five years practical experience in standardization or in calibration of Metrological items or in the work connected with legal metrology in a research/scientific Institution. **Desirable :** (i) Knowledge of French, German or Russian Language. (ii) Experience in the establishment of a metrology laboratory. The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion, will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' **Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—** 1. Additional Secretary/Joint Secretary in charge of Administration —Chairman 2. Director (Legal Metrology), Department of Consumer Affairs —Member 3. Deputy Secretary/Director (Administration) Department of Consumer Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Director (Legal Metrology)	08*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract)	**Promotion :** Metrological Assistant in the Pay Scale of Rs. 5500-175-9000 with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation** (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organizations : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay of Rs. 5500–9000 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :— **Essential :** (i) Master's Degree in Physics or Mathematics (with Physics as a subject at the degree level) or Degree in Mechanical/Electricial/Electronics/ Computer/Instrumentation/Information Technology Engineering from a recognized University or Institution or equivalent; and (ii) Three years experience in standardization or in calibration of Metrological items or in the work connected with legal metrology in a research/scientific Institution. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

(13)	(14)
Group 'A' **Departmental Promotion Committee (for considering promotion)** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary in Charge of Administration, Department of Consumer Affairs —Member 3. Director (Legal Metrology), Department of Consumer Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. A-12011/17/99-Estt.-Pt.]

PREMA BHATT, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2008/अग्रहायण 11, 1930

No. 633] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2008/AGRAHAYANA 11, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 829(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i), दिनांक 23 अगस्त, 2008 में सा.का.नि. 157, तारीख 20 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना के पृष्ठ 773-776, अनुसूची में पृष्ठ 776 में स्तम्भ 12 में ''प्रोन्नति'' शीर्षक के तहत सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से संबंधित क्रमांक 2 में पंक्ति 2 और 3 में ''पाँच वर्ष'' के स्थान पर ''आठ वर्ष'' पढ़ा जाए ।

[फा. सं. ए-12011/17/99-प्रशा.(पार्ट.)]

डॉ. केवल राम, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd December, 2008

G.S.R 829(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd August, 2008, *vide* number G.S.R. 157, dated the 20th August, 2008 pages 773-776, in the Schedule at page 776, for serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Legal Metrology), in column (12), under the heading "Promotion", in lines 2 and 3, for "five years", read "eight years".

[F. No. A-12011/17/99-Estt. (Pt.)]

Dr. KEWAL RAM , Senior Economic Adviser

4753 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932

No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 277(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये 20 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची के स्तम्भ 12 में, 'प्रोन्नति' शीर्षक के अधीन सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से संबंधित क्रमांक 2 के सामने टिप्पण का क्रमांक टिप्पण 2 होगा और इस प्रकार लगाए गए टिप्पण क्रमांक 2 से पहले निम्न टिप्पण I जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

टिप्पण I : जो कर्मचारी उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर माप विज्ञान सहायक का पद धारण करते हैं, के मामले में सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा होगी ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/2/97-स्थापना (आर. आर.), तारीख 25-5-1998, नागरिक पूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1985 के अनुसरण में, अब तक उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पदों का संबंध है, को विभाग की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 157, तारीख 20-8-2008 के अधीन अधिक्रमित किया गया, सं. सा.का.नि. 829(अ), तारीख 2-12-2008 के अधीन अधिसूचित शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए, अन्य बातों के साथ-साथ माप विज्ञान सहायक के फीडर पद के पदधारियों के हित में अर्हक सेवा बढ़ाने, जो पदधारी 1985 के भर्ती नियम के अनुसार पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर अब बढ़े हुए मापदण्ड का सामना कर रहे हैं, को उनके प्रोन्नति के अधिकार को रोकता है । तदनुसार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 में सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद की अनुसूची के स्तम्भ 12 में टिप्पण I का जोड़ने और उपर्युक्त टिप्पण I को 20 अगस्त, 2008 से पूर्वव्याप्ति देने का निर्णय लिया गया है । 20-8-2008 को नियमित आधार पर माप विज्ञान सहायक के फीडर पद धारित करने वाले पदधारियों के पक्ष में प्रोन्नति के अर्हक/पात्र सेवा बनाए रखने के लिए प्रस्तावित परन्तुक को शामिल करना अनिवार्य होगा अन्यथा, अर्हक सेवा को पाँच से 8 वर्ष बढ़ाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । प्रस्तावित टिप्पण को जोड़ना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/12/87-स्था. (आर. आर.), तारीख 18-3-1988 के संदर्भ में है । चूंकि कुछेक फीडर ग्रेड पदधारियों ने 2008 में अर्हक सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं इसलिए उन्हें 2006, 2007 और 2008 में प्रोद्भूत सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) की रिक्तियों पर 1-1-2009 को पदोन्नत करने के लिए पात्र समझा जाएगा । इस प्रकार भर्ती नियमों में प्रस्तावित टिप्पण को शामिल

करने से 20-8-2008 (तारीख जिस पर वर्तमान भर्ती नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है) प्राप्त आवेदन पर पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचित किए जा रहे भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधन करने से किसी पर भी पूर्वव्यापी प्रभाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

[फा. सं. ए-12011/7/2008-स्था.]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall deemed to have come into force with effect from the 20th August, 2008.

2. In the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, in column 12 to the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Legal Metrology), under the heading 'Promotion', the Note shall be renumbered as Note 2 thereof and before Note 2, as so numbered, the following Note 1 shall be inserted, namely,—

Note 1 : In the case of officials who are holding the post of Metrological Assistant on regular basis on the date of commencement of the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, the eligibility service for promotion to the post of Assistant Director (Legal Metrology) shall be five years regular service in the grade.

Explanatory Memorandum : In pursuance of Department of Personnel and Training, O. M. No. AB-14017/2/97-Estt. (RR), dated 25-5-1998, the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as the posts of Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) are concerned, were superseded *vide* this Department's Gazette Notification No. G.S.R. 157, dated 20-8-2008, read with corrigendum notified *vide* No. G.S.R. 829(E), dated 2-12-2008, *inter alia*, enhancing the qualifying service in the only feeder grade of Metrological Assistant from 5 years to 8 years for promotion to the post of Assistant Director (Legal Metrology). The enhancement of qualifying service has adversely affected the interests of the incumbents of the feeder post of Metrological Assistant, who by virtue of having completed the eligibility criteria as per the Recruitment Rules of 1985, are now to face enhanced criteria, which would impede their right to promotion. Accordingly, it has been decided to insert Note 1 in column 12 of the Schedule of the post of Assistant Director (Legal Metrology) on the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008 and to give retrospective effect to the aforesaid Note 1 with effect from 20th August, 2008. Insertion of the proposed provision to retain the qualifying/eligibility service for promotion in favour of the incumbents holding the feeder post of Metrological Assistant on regular basis as on 20-8-2008 will be necessary as otherwise, they will be adversely affected by the enhancement of the qualifying service from five to eight years. The insertion of the proposed Note is in terms of the guidelines on recruitment rules circulated by Department of Personnel and Training *vide* their O. M. No. AB-14017/12/87-Estt. (RR), dated 18-3-1988. Since some of the feeder grade incumbents had completed five years of qualifying service in 2008 they had become eligible to be considered for promotion on 1-1-2009 against the vacancies of Assistant Director (Legal Metrology) accrued in 2006, 2007 and 2008. As such, insertion of the proposed Note in the RRs will have retrospective application from 20-8-2008 (the date on which the existing RRs were notified in the Gazette of India). It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the proposed amendment to recruitment rules being notified.

[F. No. A-12011/7/2008-Estt.]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का नाम उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची में,–

(1) क्र.सं. 1 के सामने, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद के संबंध में स्तंभ-4 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर, 'वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान' शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर, '15600-39100 रु. (पी. बी.-3)+6600 रु. का ग्रेड वेतन' प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(2) क्र.सं. 2 के सामने, सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद के संबंध में स्तंभ-4 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर, 'वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान' शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर, '15600-39100 रु. (पी. बी.-3)+5400 रु. का ग्रेड वेतन' प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(3) (i) क्र.सं. 1 के सामने, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद के संबंध में स्तंभ-12 में '8000-13500 रु. के वेतनमान में' शब्दों अक्षरों और अंकों, जहां भी वे आएं, के स्थान पर '15600-39100 रु. (पी.बी.-3) + 5400 रु. का ग्रेड वेतन' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) क्र.सं. 2 के सामने, सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद के संबंध में स्तंभ-12 में, '5500-9000 रु. के वेतनमान में' शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां भी वे आएं, के स्थान पर, '9300-34800 रु. (पी.बी.-2)+4200 रु. का ग्रेड वेतन' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12011/7/2008-स्था.]

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 157, तारीख 20 अगस्त, 2008 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 829(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 2008 और सा.का.नि. 277 (अ) तारीख 31-3-2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFARIS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumere Affairs)

New Delhi, the 27th April, 2010

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Consumer Affair, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008,—

(1) against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Legal Metrology), in column 4,.

(i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale", shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade pay of Rs.6600", shall be substituted.

(2) against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Legal Metrology), in column 4,

(i) for the heading the heading "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale", shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade pay of Rs.5400", shall be substituted.

(3) (i) against serial number 1, relating to the post Deputy Director (Legal Metrology), in column 12, for the words letters and figures "in the Pay scale of Rs.8000-13500", wherever they occur, the words and figures

"Pay Band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade pay of Rs.5400" shall be substituted.

(ii) against serial number 2, relating to the post Assistant Director (Legal Metrology), in column 12,' for the words letters and figures "in the Pay scale of Rs.5500-9000," wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs.9300-34800 (PB-2) + Grade pay of Rs.4200" shall be substituted.

[F. No. A-12011/7/2008-Estt.]
PREMA BHATT, Under Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) vide G.S.R. 157, dated the 20th August, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 829 (E), dated 2nd December, 2008 and G.S.R. 277(E) dated 31st March, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110051.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2010/पौष 3, 1932
No. 699] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2010/PAUSHA 3, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1012(अ).—सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 में पृष्ठ संख्या 2 पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के बाद निम्नलिखित टिप्पणी अंत:स्थापित की जाएगी :—

"टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 157, तारीख 20 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् सा.का.नि. 829(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2008 के द्वारा उनमें संशोधन किया गया।"

[मिसिल सं. ए-12011/7/2008-स्था.]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th December, 2010

G.S.R. 1012(E).—In the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment (Amendment) Rules, 2010 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 277(E), dated the 31st March, 2010, after the Explanatory Memorandum at page 2, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 157, dated the 20th August, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 829(E), dated 2nd December, 2008."

[F. No. A-12011/7/2008-Estt.]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

4890 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.